O/o THE CHIEF ELECTORAL OFFICER
OLD ST. STEPHEN'S COLLEGE BUILDING,
KASHMERE GATE : DELHI-110006

No.:CEO/COE/102(92)/LS-2019/Instructions/2018/ 658-88 **Dated :** 04-1-19

To,

The President / Secretary, Delhi Pradesh Bahujan Samaj Party, 14A/11, WEA, China Market, Karol Bagh, New Delhi-110055	The President / Secretary, Delhi Pradesh Bharatiya Janata party, 14, Pandit Pant Marg, New Delhi-110001.
The President / Secretary, Delhi State Committee, Communist party of India, 4/7, Asaf Ali Road, New Delhi-110002	The President / Secretary, Delhi State Committee, Communist Party of India (Marxist), 14, Vithal Bhai Patel House, Rafi Marg, New Delhi-110001.
The President / Secretary, Delhi State Nationalist Congress Party, 1, Canning Lane (Ravinder Shukla Lane), Feroz Shah Road, New Delhi-110001.	The President / Secretary, Delhi State Indian National Congress, Rajiv Bhawan, 2, Rouse Avenue, DDU Marg, New Delhi-110002.
The President / Secretary, All India Trinamool Congress, 61, South Avenue, New Delhi-110011.	The President / Secretary, Aam Aadmi Party, 206, Rouse Avenue, DDU Marg, New Delhi-110002

Subject :- **Revision of threshold Election Expenditure/ Donation through cash transaction in a single day by the Candidates / Political Parties above Rs.10,000/- (Ten Thousands) by cheque, DD, RTGS / NEFT or other electronic mode etc. - Clarification Regarding.**

Madam/Sir,

In continuation to this office letter No.CEO/COE/102(92)/LS-2019/ Instructions/ 2018/34657-34687 dated 06/12/2018 (copy enclosed for ready reference), I am further directed to forward herewith the Hindi Version of the Instructions received from the Election Commission of India vide their office letter No.76/Instruction/2018/EEPS dated 30/11/2018. Copy of the above detailed letter is enclosed herewith.

This is for your information and kindly to adhere the said instructions.

Yours faithfully,

Encl: As above.

O/C

(CHARANJIT SINGH)
ELECTION OFFICER (COE)

No.:CEO/COE/102(92)/LS-2019/Instructions/2018/ 658-88 **Dated : 04-1-19**

Copy to the :-

1) All the District Election Officer of all the Districts of NCT of Delhi for information and with the request to adhere to the instructions.
2) Sub Divisional Magistrate(Election) of all the Districts of NCT of Delhi for information and strict compliance of the instructions issued from the Election Commission of India.
3) The Senior System Analyst, O/o the CEO, Delhi, Kashmere Gate, Delhi-110006 with the request to upload the same on the website of the CEO, Delhi in the link "Important ECI Instructions".

(CHARANJIT SINGH)
ELECTION OFFICER (COE)

स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं.76/अनुदेश/2018/ईईपीएस

दिनांक : 30 नवंबर, 2018

सेवा में

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों द्वारा एकल दिन में चैक, डीडी, आरटीजीएस/एनईएफटी अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इत्यादि के द्वारा 10,000/-रू. (दस हजार रूपये) से अधिक नकद लेन देन के माध्यम से निर्वाचन व्यय/चंदे की राशि की न्यूनतम सीमा में संशोधन - **स्पष्टीकरण** तत्संबंधी।

महोदया/महोदय,

मुझे अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन प्रयोजन हेतु खोले गए बैंक खाते से जुड़े क्रॉस्ड अकांउट पेयी चैक, अथवा बैंक ड्राफ्ट अथवा आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों द्वारा 10,000/-रू. (दस हजार रूपये) से अधिक निर्वाचन व्यय करने के संबंध में, आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 12 नवंबर, 2018 को संदर्भित करने का निदेश हुआ है। इस संबंध में एक स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या अभ्यर्थि(यों)/दलों द्वारा यह राशि एकल व्यक्ति/इकाई अथवा कई व्यक्तियों/इकाईयों को/उनसे एकल दिवस अथवा कई दिनों अथवा संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान खर्च की जा सकती है।

2. आयोग के पूर्व पत्र दिनांक 12 नवंबर, 2018 के आंशिक संशोधन में, एतद्द्वारा यह उल्लेखनीय कि संपूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान किसी अभ्यर्थी/इकाई के साथ निर्वाचन के संबंध में किए गए एकल लेनदेन अथवा कुल लेन देन के लिए 10,000/-रू.(दस हजार) से अधिक का व्यय किसी अभ्यर्थी/राजनीतिक दल द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इस प्रकार का भुगतान अभ्यर्थी के निर्वाचन बैंक खाते से जुड़े किसी अकाउंट पेयी चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट अथवा अकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट अथवा आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा अथवा किसी अन्य इलेक्टॉनिक माध्यम से न किया गया हो।

3. इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थियों द्वारा किसी एकल व्यक्ति/इकाई से एकल अथवा अनेक लेन देन के माध्यम से 10,000/-रू. से अधिक का नकद चंदा/अंशदान स्वीकार नहीं किया जाएगा। तथापि, राजनैतिक दलों के मामले में दान/चंदा प्राप्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग के वर्तमान प्रावधानों से नियंत्रित होना जारी रहेंगे।

4. आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त स्पष्टीकरण रिटर्निंग अधिकारियों, व्यय प्रेक्षकों, राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों और अन्य सभी हितधारियों के ध्यान में लाएं।

भवदीय,

राजन जैन

(राजन जैन)
अवर सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित : - सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/महासचिव/कोषाध्यक्ष।

<u>स्पीड पोस्ट/कैम्प बैग/ई-मेल द्वारा</u>

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.76/अनुदेश/2018/ईईपीएस/ दिनांक: 12 नवम्बर, 2018

सेवा में,

1. सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी
2. सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/महासचिव
3. सभी राजनीतिक दलों के कोषाध्यक्ष

विषय: अभ्यर्थियों/राजनीतिक दलों द्वारा एक दिन में नकद रूप में लेनदेन के माध्यम से निर्वाचन व्यय/चंदे की न्यूनतम सीमा का पुनरीक्षण- रू 10,000/- (दस हजार) से अधिक के लेन-देन का चेक, डीडी, आरटीजीएस/एनईएफटी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आदि के द्वारा करना तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे, संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन जारी आयोग के पत्र सं.76/अनुदेश/2011/ईईएम, दिनांक 7 अप्रैल, 2011, पत्र सं.76/अनुदेश/2013/ईईपीएस/वाल्यूम-IV, दिनांक 15 अक्तूबर, 2013 पत्र सं. 76/अनुदेश/ईईपीएस/2015/वाल्यूम-।।, दिनांक 9 जून, 2015 और पत्र सं. 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013, दिनांक 29 अगस्त/19 नवम्बर, 2014 (प्रतियां सलग्न) को संदर्भित करने का निदेश हुआ है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि नकद रूप में व्यय उपगत करने की अधिकतम राशि रू 20,000/- है। क्रास्ड अकाउन्ट पेयी चेक, बैंक ड्राफ्ट या आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा निर्वाचन व्यय उपगत करने के लिए रू. 20,000/- की न्यूनतम सीमा को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40क में किए गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए, आयोग द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से पुनरीक्षित कर दिया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि अब से, पूर्वोक्त पत्रों में शामिल सभी परिस्थितियों में, अभ्यर्थी या राजनीतिक दलो द्वारा/को रू. 10,000/- (दस हजार) से अधिक के सभी निर्वाचन व्यय/डोनेशन को क्रास्ड अकाउंट पेयी चेक, या ड्राफ्ट या आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा या निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गए अभ्यर्थी या राजनीतिक दल के बैंक खाते से जुड़े किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपगत किया जाएगा।